न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 6/2016

अनवान :

1. सीताराम पुत्र मूलाराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बिमलादेवी पत्नी चन्द्रभानसिंह नैण जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मूलाराम पुत्र नत्थूराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भूपसिंह पुत्र मूलाराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री रतन धारीवाल : वादी
वकील श्री विक्रम शर्मा : प्रतिवादी सं0 1

निर्णय **दिनांक : 7.1.19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा ग्राम भनाई में वादी के पिता प्रतिवादी सं0 2 मूलाराम की खाता सं0 296/285 के खसरा सं0 620 की 6.4370 है0 खसरा सं0 704/1 की 0.126 है0, खसरा सं0 705 की 1.960 है0 बारानी खातेदारी को राजस्व अभियान के दौरान गांव भनाई में दिनांक 12.06.2015 को मूलाराम के साथ उसके वारिसान सीताराम वादी, भूपसिंह प्रतिवादी सं0 3 व मूलाराम प्रतिवादी सं0 2 की दोनों पुत्रियां गीता व विद्या को जरिये राजस्व वाद सं0 53/14 में सभी वारिसान को 1/5–1/5 जरिये घोषणात्मक वाद खातेदार काश्तकार घोषित करवा दिया एवं उसी दिन दिनांक 12.06.2015 को ही मूलाराम व उसके सभी वारिसान के नाम उक्त वाद भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज हो गया और उसी दिनांक 12.06.2015 को ही मूलाराम प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी पुत्री विद्या को बहला फुसलाकर व उसके नाम कृषि भूमि करवाने का कहकर विद्या की ईच्छा के विरूद्ध एक दस्तबरदारी मूलाराम ने विद्या के 1/5 हक व हिस्से की अपने पक्ष में दस्तबरदारी करवा ली और उसी दिन दिनांक 12.06.2015 को मूलाराम ने राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों से साज बाज करके विद्यादेवी के हिस्सा का नामान्तरकरण अपने नाम करवाकर अपने हिस्से में 2/5 कृषि भूमि दर्ज करवा ली तथा दिनांक 20.07.2015 को मूलाराम ने अपने 2/5 हिस्से में से 2.086 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादीया सं0 1 को बैय कर दी। इस प्रकार से बैयनामा होने के बाद अब वर्तमान में बिमलादेवी पत्नी चन्द्रभानसिंह का 2.086 है0, मूलाराम का 1.2532 है0, भूपसिंह का 1.7046 है0 एवं गीतादेवी ने दिनांक 04.12.2015 को वादी सीताराम के पक्ष में दस्तबरदारी करवाने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

पर सीताराम का 3.4092 है0 बारानी कृषि भूमि दर्ज है। इस प्रकार से समस्त खातेदार का हक हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है।

वाद भूमि में मूलाराम व उसके सभी वारिसान जो कि एक ही संयुक्त परिवार के भाई–बहन व पिता पुत्र है, बहिस्सा – बराबर काश्त करते रहे है तथा सभी का संयुक्त रूप से प्रत्येक खसरे में संयुक्त रूप से कब्जा है। प्रतिवादी सं0 2 मूलाराम ने कभी अलग से कोई कृषि भूमि काश्त नहीं की बल्कि प्रतिवादी भूपसिंह के साथ ही मूलाराम रिहायश करता रहा है और भूपसिंह ही काश्त करता रहा है। वादी के पिता मूलाराम ने बिना किसी को बताये लालच के वशीभूत होकर गुपचुप तरीके से बिना खाता विभाजन करवाये अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 20.07.2015 को अपने हिस्सा में से 2.086 है0 बैय कर दी। प्रतिवादीया सं0 1 ताकत के बल पर खसरा सं0 705 जो कि अच्छी किस्म की खातेदारी कृषि भूमि है, पर काबिज होने पर आमादा है। दिनांक 25.012.2015 को प्रतिवादी सं0 1 के पति व उसके साथ तीन चार अजनबी व्यक्ति खेत में ले जाकर खसरा सं0 705 की कृषि भूमि दिखलाई है। जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बिना खाता विभाजन करवाये किसी विशेष खसरे पर कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 तीनों ही ने उक्त खाता की खातेदारी प्रतिवादी नं0 2 श्री मूलाराम से प्राप्त की है और उसी के द्वारा उन्हे सहखातेदार बनाकर काबिज बनाया गया है ऐसे मे वादी का दावा दूसरे कोटिनेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत चलने के नहीं है ना हीं वह निषेधाज्ञा पाने का मजाज है और उसका दावा काबिल खारिजी के है। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बार बार आवाज लगाई गई बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी करवाई गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई व वाद वादी आंशिक प्राथमिक डिक्री किया गया व तहसीलदार भादरा को बाबत विभाजन प्रस्ताव कमिश्नर नियुक्त किया गया।

वाद वादी ने सर्वप्रथम दावा केवल निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें बाद में केवल धारा 53 शब्द संशोधन के जरिये जुड़वाया है वादी ने अपने दावा में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया है कि वाद भूमि का अच्छी में से अच्छी व न्याऊ से से न्याऊ के लिहाज से खाता तकसीम किया जावे अपितु उसके द्वारा जो मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया गया है उसमें भी उसके द्वारा यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि वाद भूमि का अच्छी न्याऊ के लिहाज से खाता तकसीम किया जावे। इसके विपरित प्रतिवादी ने अपना जबाब दावा में कथन किया है कि विक्रेता ने उसे खसरा नं0 704/1 व 705 की 2.086 है0 पर काबिज बनाया है जिस पर उसका खरीद के वक्त से कब्जा है वा तारबंदी है इस सम्बन्ध में प्रतिवादीया व उसके गवाह ने उक्त खसरों की भूमि पर अपना खरीद के वक्त से कब्जा बताया है तथा अपनी तारबंदी होनी बताई है। इस बाबत उसके द्वारा विक्रेता मूलाराम पिता वादी व उसके भाई भूपसिंह के सहमतिनामा की चित्रप्रति भी पेश की गई है। वादी स्वयं ने मुख्य परीक्षा का जो शपथ पत्र पेश किया है वह दावा के अनुरूप ही पेश किया है लेकिन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

जिरह में वादी कथन करता है कि मुझे मेरे पिता से अलग हुये 40 वर्ष हो गये। मेरे पिता ने अपना हिस्सा ख0नं0 704/1 व 705 में रखा। वर्तमान में मैं खसरा सं0 620 में जमीन काश्त करता हूं। खसरा सं0 705 में मुझे भूमि नहीं दे रखी खसरा सं0 620 में मैं बंटवारे के समय से ही काश्त करता हूं। यह सही है कि मेरे पिता ने जमीन बेची तब मेरा भाई भूपसिंह भी जमीन बेचने में था, जब से मैं अलग हुआ है तब से मेरी अलग ही काश्त है अलग ही रिहायश है, यह सही है कि खसरा सं0 704/1 व 705 की भूमि पर खरीद के बाद बिमला देवी ने तारबंदी कर रखी है। वादी की उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि वादी अपने पिता से अर्सा दराज पहले अलग हो गया था तथा उसे खसरा सं0 620 में से भूमि उसके पिता ने काश्त हेतु दे दी थी। चूंकि वाद भूमि का मूलत : एकल खातेदार मूलाराम था तथा मूलाराम ने ही वाद भूमि राजीनामा के जरिये अपने वारिसान के नाम दर्ज करवाई है तथा मूलाराम ने ही भूमि बिमला देवी को विक्रय कर काबिज बनाया है ऐसी स्थिति में वादी को संयुक्त परिवार का सदस्य व संयुक्त कब्जा काश्त की स्थिति में रखा जाकर क्रेता बिमला देवी को अजनबी व्यक्ति की श्रेणी में शुमार नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त खाता में सभी सह हिस्सेदार मूलाराम द्वारा ही बनांये गये है। प्रतिवादीया बिमला देवी जो कि सद्भावी खरीददार है जिसने एक बड़ी राशि देकर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिसका कब्जा स्वयं वादी ने स्वीकार किया है व अपना बंटवारा होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वादी की अच्छी न्याऊ के हिसाब से विभाजन की मांग के लिहाज से विभाजन होता है तो निश्चित तौर से प्रतिवादीया सं0 1 इन्साफ से वंचित होगी क्योंकि वादी व विक्रेता मूलाराम पिता बेटे है पिता द्वारा भूमि विक्रय किया जाना व कब्जा सौंपने के तथ्य की वादी को जानकारी नहीं रही हो ऐसा नहीं माना जा सकता। वास्तव में यदि उसे कोई कार्यवाही करनी होती तो वह बैयनामा के अर्सा 6 माह बाद मौजूदा दावा लेकर नहीं आता। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 20 में जोत के विभाजन हेतु नियम (क) से (ड़) का उल्लेख किया गया है जिसमें नियम (ग) अच्छी मंदी का प्रावधान है मगर नियम (ख),(घ)(ड़) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासम्भव एक साथ रखे जाए, जहां तक संभव है विद्यमान खेतों के टुकड़े नहीं किऐ जाए, जो भूखण्ड किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है यथासंभव उनको उसी अभिधारी को आवंटित किया जायेगा यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए तो प्रतिवादीया के पास खसरा 704/1 व 705 खरीदशुदा है। उक्त खसरा की भूमि सहखातेदारी में उसके हिस्सा के बराबर है। उक्त खसरा की भूमि एकल है। उक्त खसरा पर उसको कब्जा काश्त है जिसके लिए कब्जा सुपुर्दगी बाबत अन्य पक्षकारान की सहमति है। स्वयं वादी की कब्जा काश्त में जो भूमि है वो उसके बयानों के अनुसार उसे उसके पिता द्वारा काश्त हेतु दी हुई है जिस पर वह लम्बे समय से काश्त कर रहा है। इस प्रकार वाद भूमि का विभाजन अच्छी मंदी की बजाय कब्जा काश्त के आधार पर किया जाना अधिक सुविधाजनक व विधि सम्मत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादभूमि का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर किया जाए जिससे राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 20 के उपनियमों की पालना हो सके, प्रत्येक काश्तकार को सुविधाजनक व उचित काश्त भूमि प्राप्त हो व भूमि के अनावश्यक टुकडे न हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

वादी स्वयं प्रतिवादीगण को वादभूमि का सहखातेदार मानता है विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में वादी किसी किस्म की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मजाज नहीं है

तहसीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकरान को सुना गया। वकील वादी ने मौखिक आपत्ति जाहिर कर अच्छी मन्दी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व गवाहान के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम की पालना कर तैयार किया गया है। रिपोर्ट फर्द मौका में अंकन है कि वादी विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित था मगर उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया, इसलिए विभाजन प्रस्ताव पर वादी की आपत्ति पोषणीय न होने के कारण वकील वादी की उक्त मौखिक आपत्ति को अस्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का निषेधाज्ञा के प्रयोजन हेतु वाद खारिज किया जाता है तथा जोत विभाजन के प्रयोजन हेतु मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :–

1. **विमला पत्नी चन्द्रभानसिंह कौम जाट सा0 श्योराटाडा खातेदार के पास : ग्राम भनाई** के खसरा सं0 704/1 की 0.1260 है0 खसरा सं0 705 की 1.9600 है0 कुल किता 2 रकबा 2.086 है0 बारानी प्रथम
2. **जसवन्तसिंह शेरसिंह पिसरान भूपसिंह 1.3232 है0 सीताराम 3.4092 है0 भूपसिंह 1.7046 है0 पु0 मुलाराम कौम सुनार सा0 देह खातेदार राहिन भूपसिंह जसवन्तसिंह शेरसिंह हिस्सा पीएनबी भादरा के पास : ग्राम भनाई** के खसरा सं0 620 की 6.4370 है0 बारानी प्रथम

चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज की जावे। वाद खर्च उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/1/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेशचन्द्र कस्वा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 6/2016

अनवान :

1. सीताराम पुत्र मूलाराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बिमलादेवी पत्नी चन्द्रभानसिंह नैण जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मूलाराम पुत्र नत्थूराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भूपसिंह पुत्र मूलाराम जाति सुनार निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रतन धारीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी का निषेधाज्ञा के प्रयोजन हेतु वाद खारिज किया जाता है तथा जोत विभाजन के प्रयोजन हेतु मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :–

1. **विमला पत्नी चन्द्रभानसिंह कौम जाट सा0 श्योराटाडा खातेदार के पास : ग्राम भनाई के खसरा सं0 704/1 की 0.1260 है0 खसरा सं0 705 की 1.9600 है0 कुल किता 2 रकबा 2.086 है0 बारानी प्रथम**
2. **जसवन्तसिंह शेरसिंह पिसरान भूपसिंह 1.3232 है0 सीताराम 3.4092 है0 भूपसिंह 1.7046 है0 पु0 मुलाराम कौम सुनार सा0 देह खातेदार राहिन भूपसिंह जसवन्तसिंह शेरसिंह हिस्सा पीएनबी भादरा के पास : ग्राम भनाई के खसरा सं0 620 की 6.4370 है0 बारानी प्रथम**

चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज की जावे। वाद खर्च उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ......7.1.19...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़